न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

निर्वाचन अपील संख्याः 01/2026

दायर दिनांकः 19.03.2026

निर्णय दिनांक 05.05.2026

—:अनवानः—

श्रीमती नीरू सोलंकी निवासी बाण्डा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

— — अपीलाण्ट

बनाम

श्रीमान् निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) महोदय (कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय), आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

— — रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी आमेट, गहन पुनरीक्षण वर्ष 2026 अन्तिम प्रकाशन दिनांक 25.02.2026

अन्तर्गत धारा 20, 24 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

उपस्थितः—

1— श्रीमती नीरू सोलंकी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
2— श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया 10 वर्षों से अधिक समय से ग्राम बाण्डा, तहसील आमेट में निवासरत हैं और अपीलार्थीया का ऑफिस भी ग्राम बाण्डा में अवस्थित हैं। पूर्व में ग्राम बाण्डा ग्राम पंचायत आईडाणा में शामिल था और अब नवीन पुनर्गठन में ग्राम बाण्डा को ग्राम पंचायत बाण्डा में शामिल किया हुआ हैं। अपीलार्थीया का नाम पूर्व में ग्राम पंचायत आईडाणा में शामिल था, किन्तु काफी वर्षों से अपीलार्थीया का निवास एवं कार्यालय ग्राम बाण्डा में होने से अपीलार्थीया ने आईडाणा के स्थान पर बाण्डा की निर्वाचन नामावली में स्वयं का नाम जुड़वाने हेतु विधिक कार्यवाही

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की, जिसमें अपीलार्थीया का नाम संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बाण्डा में जोड़ दिया गया तथा भारत निर्वाचन आयोग ने अपीलार्थीया का ई–मतदाता पहचान–पत्र जारी किया, जिसके नम्बर UFU0522136 हैं। इसमें भी अपीलार्थीया का पता मकान नं. 15, बाण्डा, तहसील आमेट ही दर्शाया हुआ हैं। अर्थात् अपीलार्थीया का निवास ग्राम बाण्डा है। अपीलार्थीया का भारत सरकार का आधार कार्ड संख्या 3210 9483 0636 बनाया हुआ हैं, जिसमें भी अपीलार्थीया का पता बाण्डा ही दर्शाया हुआ हैं। इसके अतिरिक्त परिगणना प्रपत्र में भी अपीलार्थीया को बाण्डा में क्रम संख्या 34 भाग संख्या एवं नाम 57 बाण्डा विधानसभा/संसदीय क्षेत्र कुम्भलगढ़ दर्शा रखा है, अर्थात् एक बार मुझे ग्राम बाण्डा का निवासी मानकर निर्वाचक नामावली बाण्डा में जोड़ दिया गया, परन्तु पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2026 के गहन पुनरीक्षण की सूची का अंतिम प्रकाशन ग्राम बाण्डा, ग्राम पंचायत बाण्डा, तहसील आमेट दिनांक 25.02.2026 को किया गया, तो उसमें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा अपीलार्थीया का नाम जोड़ा हुआ नहीं था। दिनांक 26.02.2026 को अपीलार्थीया ने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, आमेट के यहां उपस्थित होकर ग्राम पंचायत बाण्डा के वार्ड संख्या 6 में स्वयं का नाम नहीं जोड़ने के सम्बन्ध में सम्बन्धित आदेश की नकल मांगी, तो न तो नकल दी गई, न ही सुनवाई की गई, तो अपीलार्थीया ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 26.02.2026 को आदेश की नकल की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु आवेदन किया, परन्तु अभी तक नकल प्रदान नहीं की गयी हैं, जिससे नाराज, रूस्ट व दुःखी होकर यह अपील आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। रेस्पोंडेंट निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली, 2026 के पुनरीक्षण का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25.02.2026 को हुआ, तो उसमें ग्राम बाण्डा की संशोधित परिवर्द्धन व विलोपन सूची में अपीलार्थीया का नाम नहीं होने से आश्चर्य हुआ तथा अपीलार्थीया का नाम ग्राम पंचायत आईडाणा के वार्ड संख्या 7 में पूर्ववत् जोड़ा हुआ हैं, जो अवैध व विधि विरूद्ध हैं। अपीलार्थीया इस अपील द्वारा यह चाहती हैं कि अपीलार्थीया का नाम ग्राम पंचायत आईडाणा के वार्ड संख्या 7 से विलोपित किया जाकर ग्राम पंचायत बाण्डा के वार्ड संख्या 6 में जोड़ा जाये, जहां अपीलार्थीया का निवास एवं कार्यालय स्थित हैं, जैसा कि ई–मतदाता पहचान–पत्र में अपीलार्थीया का नाम, ग्राम बाण्डा में जोड़ा हुआ हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत आईडाणा के वार्ड संख्या 7 के क्रम संख्या 29 पर से अपीलार्थीया का नाम हटाया/विलोपित किया जाकर ग्राम पंचायत बाण्डा के वार्ड संख्या 06 में अपीलार्थीया का नाम जोड़ा जाए।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

बागोरा ने उपस्थिति दी। और कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) (पंचायत) आमेट जिला राजसमन्द द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीया 10 वर्षों से अधिक समय से ग्राम बाण्डा, तहसील आमेट में निवासरत हैं और अपीलार्थीया का ऑफिस भी ग्राम बाण्डा में अवस्थित हैं। पूर्व में ग्राम बाण्डा ग्राम पंचायत आईडाणा में शामिल था और अब नवीन पुनर्गठन में ग्राम बाण्डा को ग्राम पंचायत बाण्डा में शामिल किया हुआ हैं। अपीलार्थीया का नाम पूर्व में ग्राम पंचायत आईडाणा में शामिल था, किन्तु काफी वर्षों से अपीलार्थीया का निवास एवं कार्यालय ग्राम बाण्डा में होने से अपीलार्थीया ने आईडाणा के स्थान पर बाण्डा की निर्वाचन नामावली में स्वयं का नाम जुड़वाने हेतु विधिक कार्यवाही की, जिसमें अपीलार्थीया का नाम संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बाण्डा में जोड़ दिया गया तथा भारत निर्वाचन आयोग ने अपीलार्थीया का ई–मतदाता पहचान–पत्र जारी किया, जिसके नम्बर UFU0522136 हैं। इसमें भी अपीलार्थीया का पता मकान नं. 15, बाण्डा, तहसील आमेट ही दर्शाया हुआ हैं। अर्थात् अपीलार्थीया का निवास ग्राम बाण्डा है। अपीलार्थीया का भारत सरकार का आधार कार्ड संख्या 3210 9483 0636 बनाया हुआ हैं, जिसमें भी अपीलार्थीया का पता बाण्डा ही दर्शाया हुआ हैं। इसके अतिरिक्त परिगणना प्रपत्र में भी अपीलार्थीया को बाण्डा में क्रम संख्या 34 भाग संख्या एवं नाम 57 बाण्डा विधानसभा/संसदीय क्षेत्र कुम्भलगढ़ दर्शा रखा है, अर्थात् एक बार मुझे ग्राम बाण्डा का निवासी मानकर निर्वाचक नामावली बाण्डा में जोड़ दिया गया, परन्तु पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2026 के गहन पुनरीक्षण की सूची का अंतिम प्रकाशन ग्राम बाण्डा, ग्राम पंचायत बाण्डा, तहसील आमेट दिनांक 25.02.2026 को किया गया, तो उसमें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा अपीलार्थीया का नाम जोड़ा हुआ नहीं था। रेस्पोंडेंट निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली, 2026 के पुनरीक्षण का अंतिम प्रकाशन दिनांक 25.02.2026 को हुआ, तो उसमें ग्राम बाण्डा की संशोधित परिवर्द्धन व विलोपन सूची में अपीलार्थीया का नाम नहीं होने से आश्चर्य हुआ तथा अपीलार्थीया का नाम ग्राम पंचायत आईडाणा के वार्ड संख्या 7 में पूर्ववत् जोड़ा हुआ हैं, जो अवैध व विधि विरूद्ध हैं। अपीलार्थीया इस अपील द्वारा यह चाहती हैं कि अपीलार्थीया का नाम ग्राम पंचायत आईडाणा के वार्ड संख्या 7 से विलोपित किया जाकर ग्राम पंचायत बाण्डा के वार्ड संख्या 6 में जोड़ा जाये, जहां अपीलार्थीया का निवास एवं कार्यालय स्थित हैं, जैसा कि ई–मतदाता पहचान–पत्र में अपीलार्थीया का नाम, ग्राम बाण्डा में जोड़ा हुआ हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत आईडाणा के वार्ड संख्या 7 के क्रम संख्या 29 पर से अपीलार्थीया का नाम हटाया/

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विलोपित किया जाकर ग्राम पंचायत बाण्डा के वार्ड संख्या 06 में अपीलार्थीया का नाम जोड़ा जाए।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर समुचित न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीया के अभिलेखों/दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीया का नाम निर्वाचक नामावली 2026, 520 राजस्थान अर्हता तिथि 01.01.2026 प्रकाशन तिथि 16.12.2026 के अन्तर्गत भाग संख्या 71 (बाण्डा) के अनुभाग जवानसिंह का खेडा में दर्ज हैं। अब प्रार्थीया पंचायत चुनाव में भाग लेने/निर्वाचित होने हेतु ग्राम बाण्डा में नाम सम्मिलित करवाना चाहती हैं जो नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया पंचायत चुनाव में ग्राम बाण्डा में भाग लेने/चुनाव लड़ने के उद्देश्य से प्रपत्र–1 (निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन) में परिवार के सदस्य के कॉलम में अपने स्वयं के रिश्तेदार के स्थान पर किराया चिटटी के आधार पर नाम जोड़ने हेतु आवेदन किया तथा प्रार्थीया का दावा हैं कि प्रार्थीया विगत 10 वर्षों से ग्राम बाण्डा में रह रही हैं जबकी इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा किराया चिट्ठी पेश की जो दिनांक 14.01.2026 की हैं इससे पूर्व का कोई पुक्ता दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो की वह 10 वर्षों से ग्राम बाण्डा की निवासी हैं। अतः स्पष्ट हैं कि प्रार्थीया का वास्तविक निवास ग्राम जवान·जी का खेड़ा में हैं इस कारण ग्राम बाण्डा में नाम दर्ज करने तथा ग्राम जवान जी का खेड़ा से नाम हटाने हेतु प्रस्तुत आवेदन तथ्यों एवं नियमों के अनुरूप नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, SDM पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 1 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, SDM पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा यह अंकित किया है कि अपीलार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत आईडाणा से नाम हटवाने तथा ग्राम पंचायत बांडा में नाम जोड़ने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसकी जाँच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार, आमेट) तथा प्रगणक से करवाई गई। बाद जाँच और अवलोकन के बाद दावा–आपत्ति का निस्तारण किया गया। इस संबंध में हमने राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के उप नियम 13 का अध्ययन किया गया। उप नियम 13 (1) में यह अंकित किया गया है कि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है या गलत स्थान/विवरण के साथ अंकित है, तो वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है। नाम जोड़ने हेतु आवेदन फॉर्म 1 में प्रस्तुत किया जाता हैं। और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस नियम के उप नियम 14 में इस प्रकार प्रस्तुत किये गये आवेदनों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस नियम 14 (1ए) में यह उल्लेख किया गया है कि निर्वाचक पंजीकरण पदाधिकारी जब इस प्रकार प्रस्तुत किये गये किसी आवेदन का निस्तारण करता है तो वह आवेदक को एक नोटिस जारी करेगा तथा उसको यह नोटिस व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा उसके ज्ञात पते पर भेजा जायेगा। इसके पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एक संक्षिप्त जाँच (Summary Inquiry) करेगा और एक स्पीकिंग ऑर्डर (सकारण आदेश) जारी करते हुए उसके नाम जोडे जाने तथा न जोडे जाने के बारे में निर्णय करेगा। यहाँ पत्रावली से यह स्पष्ट है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, SDM पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का नाम ग्राम पंचायत बांडा की मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में निर्णय किये जाने से पूर्व उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। तथा उनके द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार आमेट और प्रगणक की रिपोर्ट के आधार पर सीधे ही आवेदन का निस्तारण कर दिया गया। अतः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, SDM पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत फार्म 01 जो कि ग्राम पंचायत बांडा की मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। उसका निस्तारण राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के उप नियम 14 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया। साथ ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, SDM पंचायत समिति आमेट द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रत्येक तथ्यो को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 में हुए तथ्यो तथा घटना क्रम के अनुसार जोडा गया। और उल्लेखनीय है कि राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 जिसकी अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 थी। उसकी मतदाता सूची दिनांक 25.12.2025 को प्रकाशित हो चुकी थी। इस प्रकरण में यह तथ्य भी साबित हुआ है कि विधानसभा की मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 01.01.2026 में होने के पश्चात भी निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) शामिल रहा। और इस प्रक्रिया के दौरान अपीलार्थी का नाम ग्राम पंचायत आईडाणा से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत बांडा के संबंधित वार्ड में दर्ज कर दिया गया था। तो एक ही मतदाता के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा दो अलग–अलग तरह के निर्णय लिए गए, जो न्यायोचित नहीं हैं। उपरोक्त विसंगतियों और विधिक प्रक्रिया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

का पालन न होने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, आमेट के निर्णय को निरस्त किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है। तथा पत्रावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, SDM पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि वह राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के प्रावधानों का पूर्ण पालना करते हुए तथा विधानसभा की मतदाता सूची में अपीलार्थी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में पुनः निर्णय पारित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 05.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद